

फर्ट अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

जिल्ला

वायतु

मुकाम

पुत्रा राध

वनाम

देवानाथ कौरा

कसम मकदमा

राजस्व आवेदन

नं.

9

सन् 2017

हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम हुकम की तामील में जारी हुए

11/11/17

पक्ष/वादी/अपीलांत के वकील श्री... कुशवाहरे चौधरी  
न. नं. पार्थसारथी/वाद/अपील धारा ... 1.1, 1.2 B, R, R  
राजस्थान काश्तकारी/ भू सजस्य अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।  
जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रस्था/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन  
तलय हाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक... 17.12.17... को पेश हो।

24  
17/11/17

सहायक कलक्टर (SDO)

वायतु

17/02/17

पार्थी पहील उपलियत / विपक्षीगणों के नोटिस  
तामिल सुडा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किम गमा  
श्रीमान पीठाधीन अधिदारी डिग्न डायरी के अन्तर्गत  
से मिशाल इतिवत्त रोजर आगामी दिनांक 27/04/2017  
के पेश हो।

27/04/17

पार्थी पहील उपलियत / विपक्षीगण वाकजु तामिल  
अनुपलियत / पार्थी पहील डारा पार्थी के पालेदारी ध्येतों के  
उत्वासे गये सीमाज्ञान ही सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश ही गई  
जिसे शामिल पत्रावली किम गमा / पार्थी के अधिवक्ता की  
उपस्थित बहस सुनी गई पार्थी के अधिवक्ता ने वाकजु की  
पार्थी के अपने पालेदारी ध्येतों के चारों ओर फेड नैकम  
स्थापित उरवाना आवश्युत ही इतिवत्त पार्थी का पार्थी का  
स्वीकार किम जाडर नैकमवनी कोडा किम जावे।  
धतः पार्थी डारा उपलुत राजस्व आवेदन की  
स्वीकार किम जाडर तहमीलडात वाकजु की अधिमान किम  
किम जाता ही प कोडा किम जाता है कि काय रूप में  
अपने अधिनस्थ किमी भी नू अधिलेख निरिमत से पार्थी  
के पालेदारी ध्येतों की पार्थी नैकमवनी रोजे पर सुड  
जमाडाराडर डर पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पत्रावली की पत्रावली के मूल सुधार ही दर्ज नामक  
डम हो, शामिल इतिवत्त डी।

सहायक कलक्टर (SDO)

वायतु

05/07/18

पत्रावली आज पेश हुई। पार्थी वहील उपर।  
तहसीलदार वाग्रदु ले नैयमबन्दी की पालना रिपोर्ट  
प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पार्थी  
वहील द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार  
वाग्रदु द्वारा प्राप्त नैयमबन्दी पालना रिपोर्ट  
में इशारे गये बिन्दुओं को पूरवा किया जावे।

अतः पार्थी अधिवक्ता के निवेदन  
पर तहसीलदार वाग्रदु ले प्राप्त पालना रिपोर्ट  
के संलग्न नक्शों में इशारे गये बिन्दु संख्या-  
E, F, N, O, P को पूरवा किया जात है। पत्रावली  
पुनः दाखिल इस्तर है।

  
सायक सिधर (SDO)  
SDO, [unclear] [unclear]

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

कमांक/वाद/2017/ 241

दिनांक:- 27/4/2017

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चुतराराम पुत्र उमाराम जाति जाट  
निवासी सियोलों की ढाणी, सेवनियाला  
तह. बायतु जिला बाड़मेर

1. देवाराम पुत्र उदाराम वगैरा 13  
निवासी सियोलों की ढाणी,  
सेवनियाला तह. बायतु जिला  
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 09/17

### आदेश

खसरा नं. 468/324 रकबा 38.10 बीघा मौजा सियोलों की ढाणी पटवार मण्डल सेवनियाला भू अभिलेख वृत नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक/वाद/2017/ 242-248

निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चुतराराम पुत्र उमाराम।
4. विप्रार्थी श्री देवाराम पुत्र उमाराम वगैरा 13।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु